



इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

चांदा तलावली मांगलिया, इन्दौर 453771

Email - sanchi13a@gmail.com

!! दुग्ध संयंत्र झाबुआ से संबद्ध कालीदेवी (रामा) विपणन क्षेत्र में साँची दूध वितरण हेतु वितरक सह-परिवहनकर्ता नियुक्ति हेतु पाँचवी ई-निविदा सूचना !!

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर द्वारा मिनि डेयरी संयंत्र झाबुआ से संबद्ध कालीदेवी (रामा) विपणन क्षेत्र में साँची दूध वितरण कार्य हेतु वितरक सह परिवहनकर्ता नियुक्ति हेतु पाँचवी ई-निविदा के माध्यम से **Online** परिवहन दरें आंमत्रित की जाती है। अधिक जानकारी के लिए आवेदन एम.पी.सी.डी.एफ. की वेबसाइट www.sanchidairy.com पर देखा जा सकता है एवं निविदा प्रपत्र का निर्धारित मूल्य रु. **1,000/-** का भुगतान कर वेबसाइट www.mptenders.gov.in पर **Online** आवेदन दिनांक **20-05-2024** तक जमा किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र में यदि कोई सुधार/संशोधन होता है तो सिर्फ उपरोक्त दर्शायी गई वेबसाइट पर ही अपलोड किया जावेगा, अन्य और कोई भी माध्यम से प्रकाशित नहीं होगा, अतः निविदाकर्ता निरंतर उपरोक्त वेबसाइट का अवलोकन करें। किसी भी एक अथवा समस्त निविदाओं को स्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

दुग्ध संयंत्र झाबुआ से संबद्ध विपणन मार्ग
कालीदेवी (रामा) दूध वितरण हेतु वितरक
सह-परिवहनकर्ता नियुक्ति हेतु पाँचवी
ई-निविदा प्रपत्र वर्ष 2024-2027



इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

चांदा तलावली मांगलिया, इन्दौर 453771

Email - sanchi13a@gmail.com

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

चांदा तलावली, मागंलिया, इन्दौर

८२ साँची दूध वितरण हेतु वितरक सह-परिवहनकर्ता नियुक्ति हेतु पाँचवी ई-निविदा प्रपत्र १००

(1)	ई-निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की दिनांक अंतिम तिथि एवं समय।	—	20.05.2024 दोपहर 12:00 बजे तक।
(2)	ई-निविदा (ऑनलाईन) जमा करने तक की अंतिम दिनांक व समय	—	20.05.2024 दोपहर 12:00 बजे तक।
(3)	निविदा खोलने की तिथि एवं समय।	—	21.05.2024 दोपहर 1:00 बजे तक।
(4)	निविदा के साथ जमा की जाने वाली ई.एम.डी. राशि।	—	रु. 50,000 /— (अक्षरी रुपये पचास हजार मात्र)
(5)	निविदा खोलने का स्थान	—	इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, चांदा तलावली, ए.बी.रोड़, इन्दौर
(6)	वितरक सह परिवहनकर्ता की तकनीकी अर्हताएँ	—	प्रपत्र 01
(7)	वितरक सह परिवहनकर्ता की सामान्य शर्तें	—	प्रपत्र 02
(8)	वितरक सह परिवहनकर्ता की सामान्य जानकारी	—	प्रपत्र 03
(9)	विपणन मार्ग की जानकारी	—	प्रपत्र 04
(10)	फाइनेंशियल बिड	—	प्रपत्र 05
(11)	अनुबंध प्रारूप	—	प्रपत्र 06

-X-

(तकनीकी अर्हतायें)
प्रपत्र - 01

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
इन्दौर सह.दुग्ध संघ मर्या.
इन्दौर

विषय :- साँची दूध वितरण हेतु कालीदेवी (रामा) विपणन क्षेत्र में वितरक सह-परिवहनकर्ता की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र।

महोदय,

साँची दूध वितरक सह परिवहनकर्ता हेतु दिनांक को समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में निवेदन करता हूँ, कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं निर्देश पढ़कर समझ लिये गये हैं। यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है, तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ।

—=0 तकनीकी अर्हतायें 0=—

क्रं.	आवश्यक अर्हताएँ	विवरण
1.	आवेदक का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा में पंजीयन का प्रमाण	(विवरण ऑन लाईन प्रस्तुत करें)
2.	यदि कोई पार्टनर हो तो उनका नाम व पता एवं पार्टनरशिप डीड संलग्न करें।	
3.	संस्था/फर्म होने की दशा में अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम।	
4.	निविदाकर्ता का आधार नम्बर होना अनिवार्य है।	
5.	पान नम्बर की प्रति संलग्न करें।	
6.	परिवहन कार्य हेतु स्वयं की 01 तापरोधी वाहन दूध वितरण हेतु (क्षमता 100 क्रेट) अन्यथा नये वाहन खरीदने की दशा में रु. 100/- के स्टाम्प पत्र पर नोटिफाईज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। अतिरिक्त आवश्यकता हेतु भी स्वयं का ही वाहन होना चाहिए। सभी वाहन वर्ष 2020 मॉडल के या बाद के हो।	
7.	निविदाकर्ता के पास दुग्ध व्यवसाय एवं परिवहन हेतु अपने स्वयं के वाहनों की स्थिति में वाहन मालिक के दुग्ध व्यवसाय एवं दुग्ध परिवहन हेतु खाद्य एवं सुरक्षा के लाईसेंस/रजिस्ट्रेशन का होना अनिवार्य है। जिसकी प्रति संलग्न करें।	
8.	इन्कम टैक्स रिटर्न वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 तीन वर्षों की ITR की पावती प्रस्तुत करना होगी।	
9.	वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 तीनों वर्षों का कुल रु. 1.50 करोड़ का टर्न ओवर होना अनिवार्य है। टर्न ओवर हेतु वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 का सी.ए. द्वारा सत्यापित प्रमाणपत्र जिसमें UDIN नं. एवं व्यवसाय का प्रकार वर्णित हो प्रस्तुत करना होगा। FMCG व्यवसायी ही पात्र होंगे।	
10.	आवेदनकर्ता के विरुद्ध किसी प्रकार का न्यायालयीन प्रकरण नहीं हो जिसका सत्यापन निकटतम पुलिस थाने से कराना अनिवार्य है।	
11.	निविदाकर्ता का जी.एस.टी. नम्बर की प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करें।	
12.	निविदाकर्ता का संबंध अध्यक्ष/संचालक मण्डल के सदस्यों, दुग्ध संघ के अधिकारी /कर्मचारी से संबंध नहीं है एवं किसी भी दुग्ध संघ द्वारा ब्लेकलिस्ट नहीं किया गया हो यह कथन रु. 100 के स्टाम्प पत्र पर नोटिफाईज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।	
13.	इस निविदा में यदि कार्यरत वितरक द्वारा भाग लिया जाता है तो दुग्ध संयंत्र झाबुआ से एन.ओ.सी. प्राप्त करना होगी।	
14.	ई.एम.डी. राशि ऑनलाईन जमा करना होगी।	

नोट - उपरोक्त दर्शित बिन्दुओं से संबंधित जानकारी/प्रमाणक ऑन लाईन प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

हस्ताक्षर — — — — —
नाम — — — — —
पता — — — — —
दूरभाष/मोबाईल नम्बर — — — — —

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,

साँची दूध वितरण हेतु वितरक सह-परिवहनकर्ता निविदा हेतु आवश्यक शर्तें

- 1) आवेदनकर्ता को चाहे गए समस्त दस्तावेज ऑन-लाईन अपलोड करना अनिवार्य है।
- 2) आवेदक को ऑनलाईन राशि रु. रुपये 50,000/- (अक्षरी रुपये पचास हजार मात्र) अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। अर्नेस्ट मनी जमा न करने की स्थिति में आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा, तथा ऐसे आवेदन स्वतः निरस्त माने जावेंगे।
- 3) सफल निविदाकार की नियुक्ति पश्चात संघ में प्रतिभूति राशि पेटे रुपये 50.00 हजार नकद आर.टी. जी.एस. के माध्यम से दुग्ध संघ के खाते में जमा करना होगा। दूध विक्रय वृद्धि होने पर आनुपातिक रूप से प्रतिभूति राशि में वृद्धि की जावेगी। प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। ई.एम.डी. राशि का समायोजन प्रतिभूति राशि में किया जावेगा। इस प्रकार कुल प्रतिभूति राशि रु. 1.00 लाख होगी।
- 4) असफल निविदाकारों की ई.एम.डी. राशि एम.पी. ई-टेंडर्स के नियमानुसार वापस की जावेगी।
- 5) परिवहन कार्य हेतु स्वयं की 01 तापरोधी वाहन दूध वितरण हेतु (क्षमता 100 क्रेट) जिसके दस्तावेज प्रस्तुत करें। अन्यथा नये वाहन खरीदने की दशा में रु. 100/- के स्टाम्प पत्र पर नोटिफाईड शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार स्वयं के ही वाहन लगाना अनिवार्य होगा। तीनों वाहन मॉडल वर्ष 2020 अथवा उसके बाद के पंजीकृत होना चाहिए वाहन की फिटनेस आर.टी.ओ. से करवाकर कार्यालय में जमा करना होगी।
- 6) सफल निविदाकार को तापरोधी वाहन 30 दिवस के भीतर उपलब्ध कराना अनिवार्य है। कार्य आवंटन उपरान्त 15 दिवस में स्वयं के वाहन की व्यवस्था करना होगी। ऐसा न होने की दशा में निविदाकार का कार्यादेश निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात कर ब्लेकलिस्ट किया जाएगा। दुग्ध संघ द्वारा उपलब्ध ब्राण्डिंग/विनाईल स्वयं के व्यय से कराना होगी।
- 7) वितरक सह परिवहनकर्ता के द्वारा किये जाने वाले कार्य निम्नानुसार रहेंगे :-
 - A) वितरक सह परिवहनकर्ता को कालीदेवी (रामा) के सम्पूर्ण कार्यक्षेत्र में सभी पार्लर/एजेन्सियों की मांग पूर्ति हेतु स्वयं का वाहन भेजना आवश्यक होगा।
 - B) वितरक सह परिवहनकर्ता को भरी एवं खाली क्रेटों का हिसाब रखना होगा एवं संघ को प्रत्येक माह मिलान हेतु हिसाब प्रस्तुत करना होगा। साथ ही प्रतिदिन जितनी भरी क्रेटें प्रदाय होती है उतनी ही संख्या में खाली क्रेटें निर्धारित समय पर जमा करना होगी। अन्यथा बकाया खाली क्रेटों की राशि का वर्तमान क्रेट क्रय भाव के आधार पर देयकों से कटोत्रा किया जावेगा।
 - C) वितरक सह परिवहनकर्ता को साँची दूध की वेरिएंट अनुसार मांग एकत्रित कर, गणना कर निर्धारित समय पर ई-मेल द्वारा प्रतिदिन दुग्ध संयंत्र को देना होगी। माँग अनुसार अग्रिम राशि भी दुग्ध संघ के खाते में एडवांस जमा कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा दूध प्रदाय नहीं किया जाएगा।
 - D) वितरक सह परिवहनकर्ता के पर्यवेक्षक/वाहन चालक, वाहनों में हो रहे दूध लोडिंग के पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि दूध हर तरह से अर्थात् गुणवत्ता, शीतलीकृत तापमान, लीकेज, वजन, क्रेट में निर्धारित संख्या पैकेट आदि से अच्छा है, इसके पश्चात् संघ किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं रहेगा। इस हेतु यह आवश्यक होगा कि वितरक सह परिवहनकर्ता अपने पर्यवेक्षक के नाम मय फोटो I.D. प्रूफ के संघ में जमा करावेगा ताकि उनकी अनुपस्थिति का रिकार्ड संघ में रखा जा सके। पर्यवेक्षकों की अनुपस्थिति के विरुद्ध प्रबन्ध द्वारा निर्धारित पैनल्टी लगाने का अधिकार संघ के पास सुरक्षित रहेगा।
 - E) वितरक सह परिवहनकर्ता द्वारा दूध विक्रय की मांग अनुसार राशि NEFT/RTGS के माध्यम से अग्रिम दुग्ध संघ खाते में जमा करने के पश्चात् ही साँची दूध प्रदाय किया जावेगा। राशि जमा नहीं

- होने पर दूध प्रदाय करना संभव नहीं होगा। यदि दूध प्रदाय बाधित होता है तो वितरक सह परिवहनकर्ता की सेवा समाप्त की जाकर प्रतिभूति राशि जब्त कर ब्लेकलिस्ट किया जाएगा।
- F) वितरक सह परिवहनकर्ता को **इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर** के नाम अकाउण्ट-पेयी रेखांकित पाँच चैक हस्ताक्षरयुक्त अग्रिम दुग्ध संघ को देना होगा। जिसका विशेष परिस्थितियों में दुग्ध संघ द्वारा उपयोग किया जा सकेगा।
- G) सफल निविदाकार को कालीदेवी (रामा) सम्पूर्ण कार्यक्षेत्र में साँची दूध विक्रय हेतु रिटेलर नियुक्ति करने के लिए महाप्रबंधक विपणन को अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- H) वितरक सह परिवहनकर्ता को दुग्ध संघ द्वारा वर्तमान में प्रचलित मार्जिन विक्रेताओं को देना होगा, जो समय-समय पर परिवर्तनशील होने पर वितरक सह परिवहनकर्ता को मान्य करना होगा।
- I) ई-निविदा में चयनित वितरक सह परिवहनकर्ता को दुग्ध संघ द्वारा साँची दूध वर्तमान प्रचलित वितरक दर पर प्रदाय किया जावेगा। जिसमें वितरक एवं रिटेलर मार्जिन सम्मिलित है। निविदाकार द्वारा केवल दुग्ध संयंत्र झाबुआ से कालीदेवी (रामा) विपणन क्षेत्र के लिये परिवहन दर (जी.एस.टी. अतिरिक्त) ऑनलाईन प्रतिलीटर में प्रस्तुत करना होगी। सफल वितरक सह परिवहनकर्ता द्वारा परिवहन देयक (जी.एस.टी. अतिरिक्त) प्रतिमाह भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा। जिसका भुगतान दुग्ध संघ द्वारा किया जावेगा। दुग्ध संघ से प्राप्त जी.एस.टी. राशि को नियमानुसार यदि प्रभावशील है, तो निर्धारित समयावधि में शासन को भुगतान करना होगा। जिससे दुग्ध संघ जी.एस.टी. राशि की छूट प्राप्त कर सकें। प्रति 03 माह में चालान की प्रति प्रस्तुत करना होगी। यदि जी.एस.टी. /अन्य कर शासन द्वारा अधिरोपित किया जाता है, तो वितरक सह परिवहनकर्ता से ब्याज एवं पेनल्टी सहित राशि वसूल की जावेगी।
- J) वितरक सह परिवहनकर्ता को अपने संपूर्ण रूट के ऐसे क्षेत्र जहां वर्तमान में साँची दूध प्रदाय नहीं हो रहा है। वहां पर भी साँची दूध प्रदाय करना होगा।
- 8) यह कि अनुबंधित अवधि में डीजल की दरों में जो वृद्धि/कमी होगी उसके अनुसार वितरक सह परिवहनकर्ता की दरों में भी वृद्धि/कमी अनुपातिक दर से की जायेगी। दर वृद्धि/कमी का आधार संघ की प्रचलित स्थापित प्रणाली से होगा।
- 9) ई-निविदा में प्राप्त परिवहन दर समान आने पर लॉटरी पद्धति से निविदाकार का चयन किया जावेगा।
- 10) वितरक सह परिवहनकर्ता द्वारा भेजा जाने वाला वाहन यदि रास्ते में खराब होता है तो वितरक सह परिवहनकर्ता का प्रमुख दायित्व रहेगा कि तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करेगा। अन्यथा सम्पूर्ण हानि की वसूली उससे की जाएगी।
- 11) वितरक सह परिवहनकर्ता कालीदेवी (रामा) अपने सम्पूर्ण क्षेत्र में किन्ही विपरीत परिस्थिति जैसे शहर बंद, कर्फ्यू, निजी दुग्ध व्यवसायियों की उपभोक्ताओं को साँची दूध प्रदाय नहीं करने संबंधी हड़ताल आदि में शामिल नहीं होगा। प्रदायगी प्रशासन के दिशा निर्देश अनुसार करना अनिवार्य होगी।
- 12) वितरक सह परिवहनकर्ता को संघ द्वारा निर्धारित सम्पूर्ण क्षेत्र में साँची दूध के व्यवस्थित वितरण हेतु व्यवस्था करना होगी साथ ही वितरण कार्य में लगाये जाने वाले क्षेत्रीय वितरण वाहन (2020 या उसके बाद के मॉडल) तापरोधी होकर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था भी करना होगी।
- 13) वितरक सह परिवहनकर्ता को दूध प्राप्त करते समय उसकी जाँच-परख हर दृष्टि से सुनिश्चित कर लेना होगा। प्रदाय होने के पश्चात् किसी भी प्रकार लीकेज/कम मात्रा, क्रेट आदि की जिम्मेदारी वितरक सह परिवहनकर्ता की रहेगी।
- 14) वितरक सह परिवहनकर्ता को संघ की निर्धारित शर्तों अनुसार **रूपये 1,000/-** के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध, जमानतदार सहित निष्पादित करना होगा। यह कि प्रथमपक्ष द्वारा द्वितीयपक्ष को केवल साँची दूध वितरण/विक्रय हेतु आवंटित क्षेत्रों हेतु पूर्णतः अस्थायी रूप से 03 वर्ष की अवधि हेतु वितरक सह परिवहनकर्ता नियुक्त किया जावेगा। तत्पश्चात् कार्य, वित्तीय व्यवहार, लक्ष्य पूर्ति संतोषजनक होने पर एक एक वर्ष कर अधिकतम दो वर्ष तक वृद्धि की जा सकेगी।
- 15) वितरक सह परिवहनकर्ता को एक माह की पूर्व अग्रिम सूचना देकर दुग्ध संघ के हित में विपणन मार्ग बंद करने का अधिकार प्रथमपक्ष/दुग्ध संघ का होगा। इसके लिए प्रथमपक्ष/दुग्ध संघ किसी

- भी तरह की न्यायालयीन प्रक्रिया से मुक्त होगा। वितरक सह परिवहनकर्ता कार्य नहीं करना चाहता है तो उसे दुग्ध संघ को तीन माह का अग्रिम लिखित नोटिस वितरक सह परिवहनकर्ता दूध का कार्य छोड़ने बाबद् देना होगा।
- 16) वितरक सह परिवहनकर्ता द्वारा प्रतिदिन मांग अनुसार दूध मात्रा की राशि RTGS के माध्यम से नकद दुग्ध संघ के खाते में अग्रिम जमा करना अनिवार्य होगा। बैंक अवकाश के दिनों में राशि ऑनलाईन दुग्ध संघ खाते में अग्रिम जमा करना होगी। राशि जमा नहीं करने पर दूध प्रदाय नहीं किया जायेगा।
 - 17) वितरक सह परिवहनकर्ता की नियुक्ति पश्चात समस्त संचालित वाहनों पर ब्राण्डिंग संघ द्वारा दी गई डिजाईन अनुसार वितरक सह परिवहनकर्ता को करना होगी।
 - 18) निविदा प्रपत्र के साथ आपके विरुद्ध किसी प्रकार का न्यायालयीन प्रकरण नहीं हो, जिसका सत्यापन निकटतम पुलिस थाने से बनाकर प्रस्तुत करें।
 - 19) वितरक सह परिवहनकर्ता को प्रत्येक पार्लर पर जाकर दूध प्रदाय करना होगा।
 - 20) वितरक सह परिवहनकर्ता को प्रतिदिन दोपहर 2:00 बजे तक ई-मेल के माध्यम से साँची दूध की मांग प्रस्तुत करना होगी।
 - 21) प्राप्त आवेदन की समीक्षा गठित चयन समिति के द्वारा की जावेगी, एवं चयन प्रक्रिया के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं समस्त आवेदकों पर बंधनकारी होगा।
 - 22) ई-निविदा स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य नहीं करने पर निविदाकर्ता की अर्नेस्ट मनी राजसात करने का निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।
 - 23) प्रबंधन द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। दुग्ध संयंत्र डाक से दूध की चोरी के किसी भी तरह के प्रकरण में पकड़े गए दूध की मूल्य राशि का 50 गुना अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा।
 - 24) यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीयपक्ष को कालीदेवी (रामा) क्षेत्र के लिये दूध विक्रय के लक्ष्य वार्षिक योजना एवं त्यौहारों के आधार पर दिये जाएंगे। जिन्हें प्राप्त करना द्वितीयपक्ष को अनिवार्य होगा। समय-समय पर उत्तरोत्तर वृद्धि हेतु दिये गये लक्ष्यों कि प्राप्ति आवश्यक होगी लक्ष्यों को प्राप्त नहीं करने पर आवंटन निरस्त कर अन्य को आवंटन की कार्यवाही प्रथमपक्ष द्वारा की जाएगी, जिस हेतु द्वितीयपक्ष जवाबदेह होगा। प्रतिवर्ष दुग्ध विक्रय में 10 प्रतिशत की वृद्धि करना अनिवार्य होगा।
 - 25) निविदा ऑफर को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर के पास सुरक्षित रहेगा।
 - 26) यदि पक्षकारों के बीच इस ठेके के विषय में कोई विवाद खड़ा हुआ, तो उसे मध्यस्थता (**Arbitrator**) के माध्यम से विवाद के निराकरण हेतु (**Arbitrator**) प्रबंध संचालक एमपीसीडीएफ भोपाल के समक्ष रखा जाएगा। जिनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
 - 27) निविदा स्वीकृत होने के पश्चात निविदाकर्ता द्वारा यदि कार्य मे अनियमितता की जाती है तो एक माह पूर्व नोटिस देकर कार्य से पृथक किया जावेगा।
 - 28) किसी भी प्रकार का विवाद होने पर न्याय क्षेत्र इन्दौर रहेगा।
 - 29) उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर दुग्ध संघ द्वारा आर्थिक शास्ति अधिरोपित की जाएगी तथा स्थिति की गंभीरता के देखते हुए कार्य आवंटन निरस्त करते हुए सुरक्षा निधि/प्रतिभूति राशि जब्त कर निविदाकार को ब्लेकलिस्ट किया जाएगा।
 - 30) **तापरोधी वाहनों में 2 इंच पफ का इंसुलेशन होना अनिवार्य है।** विशेषज्ञ समिति इसकी जाँच करेगी एवं संतोषजनक पाये जाने पर ही वाहन सेवा में मान्य किए जाएँगे। ऐसा न हो पर निविदा निरस्त कर प्रतिभूति जब्त कर ब्लेकलिस्ट किया जाएगा।
 - 31) अनुबंधित वाहन पर **G.P.S.** लगाया जाना अनिवार्य होगा, जिसका ट्रेकिंग नियंत्रण दुग्ध संघ को सौंपना होगा।
 - 32) वाहनों की फिटनेस **R.T.O.** से सत्यापित कराके दुग्ध संघ में जमा करना अनिवार्य होगा।

- 33) निविदा में उल्लेखित दस्तावेजों/लाइसेंस आदि के अतिरिक्त भविष्य में यदि शासन द्वारा जी.एस.टी. अथवा अन्य दस्तावेज/लाइसेंस/कानून प्रभावशील किये जाते हैं तो ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर उपलब्ध कराने होंगे/पूर्ण रूपेण पालन करना होगा।

मेरे द्वारा साँची दूध वितरक सह परिवहनकर्ता हेतु आवेदन एवं उसकी समस्त शर्तें पढ़ व समझ ली है तथा मैं सभी शर्तों को मानने के लिये सहज तैयार हूँ/है। आवेदन में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है यदि मेरे द्वारा आवेदन में प्रस्तुत जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मैं बिन्दु क्रमांक 01 से 33 तक वर्णित शर्तों एवं निर्देशों का पालन नहीं करता/करती हूँ एवं मेरी अर्नेस्ट मनी राजसात करने का प्रबन्ध द्वारा निर्णय किया जाता है तो मैं इस हेतु अपनी सहमति देता/देती हूँ।

नाम —

हस्ताक्षर

❖ साँची दूध वितरक सह-परिवहनकर्ता हेतु ई-निविदा प्रपत्र/आवेदन ❖

पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा करे

1. आवेदक का नाम ■ _____
2. पिता/पति का नाम ■ _____
3. स्थाई पता ■ _____
(प्रमाण सहित) ■ _____
■ _____
4. व्यवसाय का पता ■ _____
■ _____
■ _____
- (अ) दूरभाष नं. ■ _____
- (ब) मोबाईल नं. ■ _____
5. शैक्षणिक योग्यता ■ _____
6. आवेदनकर्ता का वर्ग ■ _____
(अजा, अजजा, पि. वर्ग, सामान्य) ■ _____
7. आवेदक/फर्म का नाम/यदि फर्म पार्टनरशिप है तो पार्टनर-शिप फर्म की पूर्ण जानकारी (दस्तावेजों की छायाप्रति सहित) देना अनिवार्य है। ■ _____
■ _____
■ _____
8. वर्तमान व्यवसाय ■ _____

9. वर्तमान व्यवसाय का टर्न ओवर (टर्न ओवर प्रमाण पत्र संलग्न करें) ■ _____
10. वित्तीय स्थिति (बैंक खाता नं.) ■ _____
- (अ) चल-अचल सम्पत्ति का ब्योरा। _____
- (ब) बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं में जमा राशि। _____
11. वितरक सह परिवहनकर्ता हेतु आवश्यक पूंजी की व्यवस्था। ■ _____

नोट— परिवहन दर वास्तविक संचालन व्यय से कम होने पर निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन अमान्य किया जावेगा।

दिनांक —

आवेदक के हस्ताक्षर

पूरा नाम

विपणन मार्ग की जानकारी

विपणन मार्ग का नाम
दुग्ध संयंत्र झाबुआ डाक से कालीदेवी (रामा) विपणन क्षेत्र
अनुमानित दूध विक्रय मात्रा प्रतिदिन 1000 लीटर

नोट :- दुग्ध संघ की आवश्यकता अनुसार नवीन विपणन मार्ग पर भी अनुबंधकर्ता को वाहन संचालन करना होगा।

साँची दूध वितरण हेतु वितरक सह-परिवहनकर्ता हेतु फाइनेंशियल बिड

विपणन मार्ग का नाम	मार्ग की अनुमानित दूरी (आना-जाना)	अनुमानित दूध विक्रय मात्रा प्रतिदिन	निविदाकर्ता द्वारा तापरोधी वाहन की केवल दूध परिवहन दर (जिसमें मार्जिन सम्मिलित नहीं है।) प्रतिलीटर (जी.एस.टी. अतिरिक्त) को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत करना है।
दुग्ध संयंत्र झाबुआ से संबद्ध कालीदेवी (रामा) विपणन क्षेत्र में साँची दूध वितरण हेतु ई-निविदा की शर्त अनुसार।	30 किलोमीटर	1,000 लीटर (100 क्रेट क्षमता के 01 तापरोधी वाहन)	

नोट :- वितरक दर/मार्जिन की सूची संलग्न है। भविष्य में दूध की दरों एवं मार्जिन में प्रबंधन के निर्णयानुसार कमी/वृद्धि होने पर प्रभावी होंगी, जिन्हें परिवर्तन होने पर सूचित किया जाएगा।

INDORE SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT
MILK RATE

S.NO	MILK TYPE	DISTRIBUTOR RATE	DISTRIBUTOR MARGIN	RETAILER RATE	RETAILER MARGIN	M.R.P
1	SANCHI GOLD 5 LTR	361.80	4.20	366.00	18.00	384.00
2	SANCHI GOLD 1 LTR	59.30	0.70	60.00	3.00	63.00
3	SANCHI GOLD 500 ML	30.15	0.35	30.50	1.50	32.00
4	SANCHI GOLD 200 ML	13.26	0.14	13.40	0.60	14.00
5	SANCHI SHAKTI 500 ML	27.15	0.35	27.50	1.50	29.00
6	SANCHI CHAH 1 LTR	50.30	0.70	51.00	3.00	54.00
7	SANCHI SMART 500 ML	21.15	0.35	21.50	1.50	23.00
8	SANCHI SMART 160 ML	7.11	0.29	7.40	2.60	10.00
9	SANCHI CHAI SPECIAL 1 LTR	46.30	0.70	47.00	3.00	50.00
10	SANCHI LITE 500 ML	18.15	0.35	18.50	1.50	20.00
11	SANCHI COW MILK 500 ML	25.15	0.35	25.50	1.50	27.00
12	SANCHI COW MILK 5 LTR	251.50	3.50	255.00	15.00	270.00
13	SANCHI CHAI SPECIAL 5 LTR	231.50	3.50	235.00	15.00	250.00

ॐ अनुबंध ६

यह अनुबंध आज दिनांक..... को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ, मर्यादित, इन्दौर, जिन्हें आगे प्रथम पक्ष के नाम से संबोधित किया गया है) एवं द्वितीय पक्ष श्री/श्रीमती/कु./मेसर्स पता— जिन्हें दुग्ध संयंत्र झाबुआ से कालीदेवी (रामा) विपणन क्षेत्र हेतु साँची दूध वितरण कार्य हेतु वितरक सह परिवहनकर्ता के नाम से संबोधित किया गया है) के मध्य निम्नलिखित शर्तों पर साँची दूध वितरक सह परिवहनकर्ता कार्य हेतु निष्पादित किया जा रहा है :-

- 1) वितरक सह परिवहनकर्ता द्वारा दुग्ध संयंत्र झाबुआ से संचालित होकर साँची दूध का वितरण कालीदेवी (रामा) के समस्त वितरण केन्द्रों तक पहुँचाने के लिए ई-निविदा में परिवहन दर रु. प्रतिलीटर स्वीकृत की गई है।
- 2) श्री/श्रीमती/कु./मेसर्स द्वारा ई-निविदा की शर्त अनुसार प्रतिभूति राशि पेटे एम.आर. नं. Bank राशि रुपये आर.टी.जी.एस. के माध्यम से दुग्ध संघ के खाते में जमा किए गए हैं, एवं एम.आर. नं. Bank दिनांक राशि रु. (टेंडर राशि) जमा हुए हैं तथा राशि रुपये की बैंक ग्यारंटी नं. दिनांक से शाखा—....., दुग्ध संघ में प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार कुल प्रतिभूति राशि रु. जमा हुए हैं। प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। साँची दूध विक्रय वृद्धि होने पर आनुपातिक रूप से प्रतिभूति राशि में वृद्धि की जावेगी।
- 3) आवेदक को ऑनलाईन राशि रु. रुपये 50,000/- (अक्षरी रुपये पचास हजार मात्र) अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। अर्नेस्ट मनी जमा न करने की स्थिति में आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा, तथा ऐसे आवेदन स्वतः निरस्त माने जावेंगे।
- 4) सफल निविदाकार की नियुक्ति पश्चात संघ में प्रतिभूति राशि पेटे रुपये 50.00 हजार नकद आर.टी.जी.एस. के माध्यम से दुग्ध संघ के खाते में जमा करना होगा। दूध विक्रय वृद्धि होने पर आनुपातिक रूप से प्रतिभूति राशि में वृद्धि की जावेगी। प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। ई.एम.डी. राशि का समायोजन प्रतिभूति राशि में किया जावेगा। इस प्रकार कुल प्रतिभूति राशि रु. 1.00 लाख होगी।
- 5) असफल निविदाकारों की ई.एम.डी. राशि एम.पी. ई-टेंडर्स के नियमानुसार वापस की जावेगी।
- 6) परिवहन कार्य हेतु स्वयं की 01 तापरोधी वाहन दूध वितरण हेतु (क्षमता 100 क्रेट) जिसके दस्तावेज प्रस्तुत करें। अन्यथा नये वाहन खरीदने की दशा में रु. 100/- के स्टाम्प पत्र पर नोटिफाईड शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार स्वयं के ही वाहन लगाना अनिवार्य होगा। तीनों वाहन मॉडल वर्ष 2020 अथवा उसके बाद के पंजीकृत होना चाहिए वाहन की फिटनेस आर.टी.ओं. से करवाकर कार्यालय में जमा करना होगी।
- 7) सफल निविदाकार को तापरोधी वाहन 30 दिवस के भीतर उपलब्ध कराना अनिवार्य है। कार्य आवंटन उपरान्त 15 दिवस में स्वयं के वाहन की व्यवस्था करना होगी। ऐसा न होने की दशा में निविदाकार का कार्यादेश निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात कर ब्लेकलिस्ट किया जाएगा। दुग्ध संघ द्वारा उपलब्ध ब्राण्डिंग/विनाईल स्वयं के व्यय से कराना होगी।
- 8) वितरक सह परिवहनकर्ता के द्वारा किये जाने वाले कार्य निम्नानुसार रहेंगे :-

- A) वितरक सह परिवहनकर्ता को कालीदेवी (रामा) के सम्पूर्ण कार्यक्षेत्र में सभी पालर/एजेन्सियों की मांग पूर्ति हेतु स्वयं का वाहन भेजना आवश्यक होगा।
- B) वितरक सह परिवहनकर्ता को भरी एवं खाली क्रेटों का हिसाब रखना होगा एवं संघ को प्रत्येक माह मिलान हेतु हिसाब प्रस्तुत करना होगा। साथ ही प्रतिदिन जितनी भरी क्रेटें प्रदाय होती हैं उतनी ही संख्या में खाली क्रेटें निर्धारित समय पर जमा करना होगी। अन्यथा बकाया खाली क्रेटों की राशि का वर्तमान क्रेट क्रय भाव के आधार पर देयकों से कटोत्रा किया जावेगा।
- C) वितरक सह परिवहनकर्ता को साँची दूध की वेरिएंट अनुसार मांग एकत्रित कर, गणना कर निर्धारित समय पर ई-मेल द्वारा प्रतिदिन दुग्ध संयंत्र को देना होगी। माँग अनुसार अग्रिम राशि भी दुग्ध संघ के खाते में एडवांस जमा कराना अनिवार्य होगा, **अन्यथा प्रदाय नहीं किया जाएगा।**
- D) वितरक सह परिवहनकर्ता के पर्यवेक्षक/वाहन चालक, वाहनों में हो रहे दूध लोडिंग के पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि दूध हर तरह से अर्थात् गुणवत्ता, शीतलीकृत तापमान, लीकेज, वजन, क्रेट में निर्धारित संख्या पैकेट आदि से अच्छा है, इसके पश्चात् संघ किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं रहेगा। इस हेतु यह आवश्यक होगा कि वितरक सह परिवहनकर्ता अपने पर्यवेक्षक के नाम मय फोटो I.D. प्रूफ के संघ में जमा करावेगा ताकि उनकी अनुपस्थिति का रिकार्ड संघ में रखा जा सके। पर्यवेक्षकों की अनुपस्थिति के विरुद्ध प्रबन्ध द्वारा निर्धारित पैनल्टी लगाने का अधिकार संघ के पास सुरक्षित रहेगा।
- E) वितरक सह परिवहनकर्ता द्वारा दूध विक्रय की मांग अनुसार राशि NEFT/RTGS के माध्यम से अग्रिम दुग्ध संघ खाते में जमा करने के पश्चात् ही साँची दूध प्रदाय किया जावेगा। राशि जमा नहीं होने पर दूध प्रदाय करना संभव नहीं होगा। यदि दूध प्रदाय बाधित होता है तो वितरक सह परिवहनकर्ता की सेवा समाप्त की जाकर प्रतिभूति राशि जब्त कर ब्लेकलिस्ट किया जाएगा।
- F) वितरक सह परिवहनकर्ता को **इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर** के नाम अकाउण्ट-पेयी रेखांकित पाँच चैक हस्ताक्षरयुक्त अग्रिम दुग्ध संघ को देना होगा। जिसका विशेष परिस्थितियों में दुग्ध संघ द्वारा उपयोग किया जा सकेगा।
- G) सफल निविदाकार को कालीदेवी (रामा) सम्पूर्ण कार्यक्षेत्र में साँची दूध विक्रय हेतु रिटेलर नियुक्ति करने के लिए महाप्रबंधक विपणन को अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- H) वितरक सह परिवहनकर्ता को दुग्ध संघ द्वारा वर्तमान में प्रचलित मार्जिन विक्रेताओं को देना होगा, जो समय-समय पर परिवर्तनशील होने पर वितरक सह परिवहनकर्ता को मान्य करना होगा।
- I) इस ई-निविदा में चयनित वितरक सह परिवहनकर्ता को दुग्ध संघ द्वारा साँची दूध वर्तमान प्रचलित वितरक दर पर प्रदाय किया जावेगा। जिसमें वितरक एवं रिटेलर मार्जिन सम्मिलित है। निविदाकार द्वारा केवल दुग्ध संयंत्र झाबुआ से कालीदेवी (रामा) विपणन क्षेत्र के लिये परिवहन दर (जी.एस.टी. अतिरिक्त) ऑनलाईन प्रतिलीटर में प्रस्तुत करना होगी। सफल वितरक सह परिवहनकर्ता द्वारा परिवहन देयक (जी.एस.टी. अतिरिक्त) प्रतिमाह भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा। जिसका भुगतान दुग्ध संघ द्वारा किया जावेगा। दुग्ध संघ से प्राप्त जी.एस.टी. राशि को नियमानुसार यदि प्रभावशील है, तो निर्धारित समयावधि में शासन को भुगतान करना होगा। जिससे दुग्ध संघ जी.एस.टी. राशि की छूट प्राप्त कर सकें। प्रति 03 माह में चालान की प्रति प्रस्तुत करना होगी। यदि जी.एस.टी. /अन्य कर शासन द्वारा अधिरोपित किया जाता है, तो वितरक सह परिवहनकर्ता से ब्याज एवं पेनल्टी सहित राशि वसूल की जावेगी।
- J) वितरक सह परिवहनकर्ता को अपने संपूर्ण रूट के ऐसे क्षेत्र जहां वर्तमान में साँची दूध प्रदाय नहीं हो रहा है। वहां पर भी साँची दूध प्रदाय करना होगा।
- 9) यह कि अनुबंधित अवधि में डीजल की दरों में जो वृद्धि/कमी होगी उसके अनुसार वितरक सह परिवहनकर्ता की दरों में भी वृद्धि/कमी अनुपातिक दर से की जायेगी। दर वृद्धि/कमी का आधार संघ की प्रचलित स्थापित प्रणाली से होगा।
- 10) ई-निविदा में प्राप्त परिवहन दर समान आने पर लॉटरी पद्धति से निविदाकार का चयन किया जावेगा।

- 11) वितरक सह परिवहनकर्ता द्वारा भेजा जाने वाला वाहन यदि रास्ते में खराब होता है तो वितरक सह परिवहनकर्ता का प्रमुख दायित्व रहेगा कि तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करेगा। अन्यथा सम्पूर्ण हानि की वसूली उससे की जाएगी।
- 12) वितरक सह परिवहनकर्ता कालीदेवी (रामा) अपने सम्पूर्ण क्षेत्र में किन्ही विपरीत परिस्थिति जैसे शहर बंद, कर्फ्यू, निजी दुग्ध व्यवसायियों की उपभोक्ताओं को साँची दूध प्रदाय नहीं करने संबंधी हड़ताल आदि में शामिल नहीं होगा। प्रदायगी प्रशासन के दिशा निर्देश अनुसार करना अनिवार्य होगी।
- 13) वितरक सह परिवहनकर्ता को संघ द्वारा निर्धारित सम्पूर्ण क्षेत्र में साँची दूध के व्यवस्थित वितरण हेतु व्यवस्था करना होगी साथ ही वितरण कार्य में लगाये जाने वाले क्षेत्रीय वितरण वाहन **(2020 या उसके बाद के मॉडल)** तापरोधी होकर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था भी करना होगी।
- 14) वितरक सह परिवहनकर्ता को दूध प्राप्त करते समय उसकी जाँच-परख हर दृष्टि से सुनिश्चित कर लेना होगा। प्रदाय होने के पश्चात् किसी भी प्रकार लीकेज/कम मात्रा, क्रेट आदि की जिम्मेदारी वितरक सह परिवहनकर्ता की रहेगी।
- 15) वितरक सह परिवहनकर्ता को संघ की निर्धारित शर्तों अनुसार **रूपये 1,000/-** के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध, जमानतदार सहित निष्पादित करना होगा। यह कि प्रथमपक्ष द्वारा द्वितीयपक्ष को केवल साँची दूध वितरण/विक्रय हेतु आवंटित क्षेत्रों हेतु पूर्णतः अस्थाई रूप से 03 वर्ष की अवधि हेतु वितरक सह परिवहनकर्ता नियुक्त किया जावेगा। तत्पश्चात् कार्य, वित्तीय व्यवहार, लक्ष्य पूर्ति संतोषजनक होने पर एक एक वर्ष कर अधिकतम दो वर्ष तक वृद्धि की जा सकेगी।
- 16) वितरक सह परिवहनकर्ता को एक माह की पूर्व अग्रिम सूचना देकर दुग्ध संघ के हित में विपणन मार्ग बंद करने का अधिकार प्रथमपक्ष/दुग्ध संघ का होगा। इसके लिए प्रथमपक्ष/दुग्ध संघ किसी भी तरह की न्यायालयीन प्रक्रिया से मुक्त होगा। वितरक सह परिवहनकर्ता कार्य नहीं करना चाहता है तो उसे दुग्ध संघ को तीन माह का अग्रिम लिखित नोटिस वितरक सह परिवहनकर्ता दूध का कार्य छोड़ने बाबद् देना होगा।
- 17) वितरक सह परिवहनकर्ता द्वारा प्रतिदिन मांग अनुसार दूध मात्रा की राशि RTGS के माध्यम से नकद दुग्ध संघ के खाते में अग्रिम जमा करना अनिवार्य होगा। बैंक अवकाश के दिनों में राशि ऑनलाइन दुग्ध संघ खाते में अग्रिम जमा करना होगी। राशि जमा नहीं करने पर दूध प्रदाय नहीं किया जायेगा।
- 18) वितरक सह परिवहनकर्ता की नियुक्ति पश्चात् समस्त संचालित वाहनों पर ब्राण्डिंग संघ द्वारा दी गई डिजाइन अनुसार वितरक सह परिवहनकर्ता को करना होगी।
- 19) निविदा प्रपत्र के साथ आपके विरुद्ध किसी प्रकार का न्यायालयीन प्रकरण नहीं हो, जिसका सत्यापन निकटतम पुलिस थाने से बनाकर प्रस्तुत करें।
- 20) वितरक सह परिवहनकर्ता को प्रत्येक पार्लर पर जाकर दूध प्रदाय करना होगा।
- 21) वितरक सह परिवहनकर्ता को प्रतिदिन दोपहर 2:00 बजे तक ई-मेल के माध्यम से साँची दूध की मांग प्रस्तुत करना होगी।
- 22) प्राप्त आवेदन की समीक्षा गठित चयन समिति के द्वारा की जावेगी, एवं चयन प्रक्रिया के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं समस्त आवेदकों पर बंधनकारी होगा।
- 23) ई-निविदा स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य नहीं करने पर निविदाकर्ता की अर्नेस्ट मनी राजसात करने का निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।
- 24) प्रबंधन द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। दुग्ध संयंत्र डाक से दूध की चोरी के किसी भी तरह के प्रकरण में पकड़े गए दूध की मूल्य राशि का 50 गुना अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा।
- 25) यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीयपक्ष को कालीदेवी (रामा) क्षेत्र के लिये दूध विक्रय के लक्ष्य वार्षिक योजना एवं त्यौहारों के आधार पर दिये जाएंगे। जिन्हें प्राप्त करना द्वितीयपक्ष को अनिवार्य होगा। समय-समय पर उत्तरोत्तर वृद्धि हेतु दिये गये लक्ष्यों की प्राप्ति आवश्यक होगी लक्ष्यों को प्राप्त नहीं

- करने पर आवंटन निरस्त कर अन्य को आवंटन की कार्यवाही प्रथमपक्ष द्वारा की जाएगी, जिस हेतु द्वितीयपक्ष जवाबदेह होगा। प्रतिवर्ष दुग्ध विक्रय में 10 प्रतिशत की वृद्धि करना अनिवार्य होगा।
- 26) निविदा ऑफर को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर के पास सुरक्षित रहेगा।
 - 27) यदि पक्षकारों के बीच इस ठेके के विषय में कोई विवाद खड़ा हुआ, तो उसे मध्यस्थता (**Arbitrator**) के माध्यम से विवाद के निराकरण हेतु (**Arbitrator**) प्रबंध संचालक एमपीसीडीएफ भोपाल के समक्ष रखा जाएगा। जिनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
 - 28) निविदा स्वीकृत होने के पश्चात निविदाकर्ता द्वारा यदि कार्य में अनियमितता की जाती है तो एक माह पूर्व नोटिस देकर कार्य से पृथक किया जावेगा।
 - 29) किसी भी प्रकार का विवाद होने पर न्याय क्षेत्र इन्दौर रहेगा।
 - 30) उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर दुग्ध संघ द्वारा आर्थिक शास्ति अधिरोपित की जाएगी तथा स्थिति की गंभीरता के देखते हुए कार्य आवंटन निरस्त करते हुए सुरक्षा निधि/प्रतिभूति राशि जब्त कर निविदाकार को ब्लेकलिस्ट किया जाएगा।
 - 31) तापरोधी वाहनों में 2 इंच पफ का इंसुलेशन होना अनिवार्य है। विशेषज्ञ समिति इसकी जाँच करेगी एवं संतोषजनक पाये जाने पर ही वाहन सेवा में मान्य किए जाएंगे। ऐसा न हो पर निविदा निरस्त कर प्रतिभूति जब्त कर ब्लेकलिस्ट किया जाएगा।
 - 32) अनुबंधित वाहन पर **G.P.S.** लगाया जाना अनिवार्य होगा, जिसका ट्रेकिंग नियंत्रण दुग्ध संघ को सौंपना होगा।
 - 33) वाहनों की फिटनेस **R.T.O.** से सत्यापित कराके दुग्ध संघ में जमा करना अनिवार्य होगा।
 - 34) निविदा में उल्लेखित दस्तावेजों/लाइसेंस आदि के अतिरिक्त भविष्य में यदि शासन द्वारा जी.एस.टी. अथवा अन्य दस्तावेज/लाइसेंस/कानून प्रभावशील किये जाते हैं तो ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर उपलब्ध कराने होंगे/पूर्ण रूपेण पालन करना होगा।

उपरोक्त शर्तों पर दोनों पक्षों की सहमति से यह अनुबंध बिना किसी दबाव एवं पूर्ण होश-हवास में इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर के कार्यालय में निम्न गवाहों के समक्ष निष्पादित किया गया जो दोनों पक्षों को मान्य है।

मैं पिता/पति/पत्नी.....साँची दूध वितरक
सह परिवहनकर्ताअपना उत्तराधिकारी (नॉमिनी) श्री/श्रीमती..... को
घोषित करता/ करती हूँ।

हस्ताक्षर (प्रथम पक्ष)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी

हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष)
.....

गवाह—

1. नाम—
2. पता—
.....
3. आधार कार्ड नं.—
4. मो.नं.—

2. नाम—
- पता—
- आधार कार्ड— नं.
- मो.नं.—

जमानतनामा

मैं जमानतदार सर्व आत्मज श्री
आयु मे है कि, कार्यालय प्रथम पक्ष एवं द्वितीय
पक्ष, पुत्र श्री आयु निवासी
..... के बीच आज दिनांकको वितरक सह परिवहनकर्ता हेतु
अनुबंध लिख गया है। इस अनुबंध के तहत यदि प्रथम पक्ष को कोई नुकसान हुआ तो उसके
लिये रुपये 1,00,000/- (अक्षरी रुपये एक लाख मात्र) तक के नुकसान की जवाबदारी हमारी
रहेगी अगर नुकसानी की राशि द्वितीय पक्ष ने अदा नहीं की तो वह मैं जमानतदार स्वयं प्रथम
पक्ष को भुगतान करूँगा/करूँगी अन्यथा प्रथम पक्ष हमारी चल-अचल संपत्ति से वसूल करने
के अधिकारी रहेंगे।

सादर जमानतदार प्रथम पक्ष के पक्ष में द्वितीय पक्ष द्वारा लिखे पार्लर/बूथ अनुबंध की
पूर्ति के जमानत बतौर मैंने आज दिनांक को लिख दिया है।

गवाह :

जमानतदार

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
नाम	नाम
पता	पता
मोबाईल नम्बर	मोबाईल नम्बर

शपथ पत्र

मैं आत्मज श्री

आयु निवासी —

शपथपूर्वक यह कथन करता हूँ कि :-

1. मैंने आज दिनांक को यह अनुबंध करार इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ, मर्यादित इन्दौर से दूध वितरक सह परिवहनकर्ता के माध्यम से किया है जिसकी समस्त सेवा शर्तें मुझे मान्य है।
2. यह कि यह शपथ पत्र में प्रथम पक्षकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित इन्दौर के साथ हुये अनुबंध के समर्थन में प्रस्तुत कर रहा हूँ तथा यह शपथपत्र अनुबंध का अभिन्न अंग ही माना जायेगा।

शपथग्रहिता.....

:: सत्यापन ::

मैं सत्यापित करता हूँ कि शपथपत्र के उपरोक्त चरण मेरी स्वयं की जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है। सत्यापन आज दिनांक को में किया गया।

शपथग्रहिता.....